

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,(भू-सर्वेक्षण) मध्यप्रदेश,भोपाल
क्रमांक/भू-सर्वे/बजट/ १६ | १५१५ भोपाल,दिनांक:-24-02-2004.
प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वन मण्डलाधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में।

-0-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जहाँ वन भूमि पर वनों की कटाई कर उसे अन्य परियोजना के लिए उपयोग किया जाता है तो वनों की पूर्ति करने के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि कोई वृक्षारोपण किसी भी वन का विकल्प नहीं होता। किसी वृक्षारोपण को वनों के विकल्प के समतुल्य बनाने हेतु उसे लगभग 4 से 5 दशक तक सफल तथा सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक होता है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण के संबंध में यह निर्देश स्पष्ट तौर पर प्रसारित किये गये हैं कि वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना बनाते समय स्थल के अनुरूप वृक्षारोपण कार्य सम्पादित कराया जाए तथा उसी के अनुरूप वित्तीय मौग प्रस्तुत की जाए। वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजनाओं में एक मात्र लक्ष्य सफल वृक्षारोपण करना होता है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना बनाते समय एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह होता है कि वृक्षारोपण स्थापना करने के दो वर्षों के पश्चात् कितने वर्ष तक इन वृक्षारोपण की देख रेख की जाना है। देख रेख की अवधि तथा वृक्षारोपणों की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वृक्षारोपण हेतु किस प्रकार की व्यवस्थायें की जाती हैं। यदि वृक्षारोपणों में सिंचाई, खाद, दवाई छिड़काई, एवं भू-जल संरक्षण आदि के कार्य करवाये जाते हैं तो वृक्षारोपण की बढ़त अच्छी होगी तथा देख रेख की समयावधि कम होगी, जहाँ पर सिंचाई, खाद, दवाई छिड़काई, निंदाई गुड़ाई एवं भू-जल संरक्षण आदि के कार्य नहीं करवाये जाते वहाँ पौधों की बढ़त कम होगी। तथा उनकी देख रेख के लिए समय भी ज्यादा देना होगा। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी वृक्षारोपण के लिए देख रेख की अवधि कम से कम 5 वर्ष होगी जो वृक्षारोपण स्थापना के दो वर्षों के अतिरिक्त होगी अर्थात् देख रेख का कार्य कम से कम 5 वर्ष तक करना अनिवार्य होगा। यदि

रथल के अनुरूप इसे अधिक अवधि के लिए देख रेख करने की आवश्यकता हो तो उसका प्रावधान वृक्षारोपण योजना में किया जावेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए.कमॉक 574, दिनांक 08-09-2000 में रघुष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि किसी भी वैकल्पिक वृक्षारोपण में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना चाहिए। इन वृक्षारोपणों को वन की सामान्य श्रेणी में तभी शामिल किया जाए जब तक कि ये पूण्टः सुरक्षित न हो जाएं। इसलिए वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं में समय की भी कोई वैद्यता उल्लेखित नहीं है, क्योंकि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आर्थिक देख-रेख में समय की वैद्यता नहीं है अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि सफल वृक्षारोपण संभव न हो सके। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- (1) सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत माननीय सर्वोच्च न्यायालय आई.ए.कमॉक 574 दिनांक 08-09-2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
- (2) वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाए तथा तकनीकी एवं आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्ध किया जाए कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्ध हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में करवाई जाकर मुख्य वन संरक्षक, (भू-सर्वेक्षण) को भिजवाना होगी।
- (3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तथा असफलता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (4) जीवित प्रतिशत की गणना हेतु देख रेख का अन्तिम वर्ष वही माना जायेगा अर्थात् वृक्षारोपण की देख रेख की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। यदि वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य विभागीय तौर पर कराया जाता है वहाँ पर भी देख रेख की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वन मण्डलाधिकारी जीवित पौधों के प्रतिशत के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा उसके पश्चात् इनके देख रेख का कार्य वन विभाग के सामान्य बजट से कराया जावेगा।

(5) किसी भी वैकल्पिक वृक्षारोपण चाहे वह विभागीय तौर पर किया गया हो अथवा अन्य एजेंसी द्वारा करवाया गया हो वृक्षारोपण की देख रेख के अंतिम वर्ष में सफलता का प्रतिशत 75 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु जहाँ तक सम्भव हो वृक्षारोपण में सिंचाई, खाद तथा अन्य उपचार की व्यवस्था योजना में शामिल की जाना चाहिए।

(6) इन वैकल्पिक वृक्षारोपण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय करना चाहिए तथा प्रभावशाली फैसिंग का प्रावधान योजना में रखा जाना चाहिए।

(7) प्रत्येक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में 20 प्रतिशत राशि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए रखे जाने का प्रावधान होना चाहिए।

कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सफलतम वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजनायें बनाई जाएं तथा उनकी सफलता सुनिश्चित की जाए, अन्यथा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अक्षेलना माना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृक्षारोपण के जीवित पौधों का प्रतिशत उच्च स्तर का होना चाहिए यदि यह सुनिश्चित नहीं किया जाता तो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी। इन निर्देशों के संबंध में अपने अधीनस्थों को टीप कराया जाए तथा उन्हें इन निर्देशों के बारे में स्पष्ट तौर पर अवगत कराया जाए।


मुख्य वन सरक्षक, (भू-सर्वेक्षण)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक:— 24—02—2004

पृ०क०/भू-सर्व/बजट/ १६/६

प्रतिलिपि:—

श्री ए०के० दुबे, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सदस्य) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उपरोक्त संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वन सरक्षक, (भू-सर्वेक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल